कामकाजी महिला

वर्ष 7 अंक 4 दिसम्बर 1994 मूल्य : 2 रुपये

आंगनवाड़ी सम्मेलन विशेष अंक

कलकत्ता में आंगनवाड़ी महिलाओं के द्वितीय सम्मेलन की समाप्ति पर आयोजित विशाल जन सभा का एक दृश्य।

समाजवाद अपराजेय है !

कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति (सी आइ टी यू) अक्टूबर क्रांति की 77 वीं वर्ष गांठ पर श्रमिक वर्ग की महिलाओं तथा पुरुषों का अभिनंदन करती है। महान लेनिन तथा स्तालिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति का स्मरण करते हुए वह समाजवादी व्यवस्था के विखण्डन तथा येलत्सिन एण्ड कम्पनी द्वारा पूंजीवादी शासन व्यवस्था स्थापित किये जाने पर गहरी चिंता एवं क्षोभ व्यक्त करती है। श्रमिक वर्ग तथा जन साधारण जिसे पहले काम का अधिकार, रोजगार तथा आवास एवं चिकित्सा सुविधाओं जैसे अन्य लाभ प्राप्त थे, ने अपनी सभी उपलब्धियों को गंवा दिया है। वर्तमान में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्र मंडल (सी आइ एस-जो कभी सोवियत संघ था) की स्थिति अत्यंत खराब एवं शोचनीय है। नवीनतम समाचारों के अनुसार श्रमिक वर्ग में बेरोजगारी बढ़ी है। उन्हें कई-कई महीनों तक वेतन नहीं मिलता। डबल रोटी, मांस तथा अण्डों जैसी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आकाश को छूने लगे हैं। महिलाओं को यह सामान लेने के लिये घंटों तक राशन दुकानों की पंक्तियों में खड़े रहना पड़ता है। इसके विपरीत काला बाजार का धंधा खूब चमक रहा है। औद्योगिक उत्पादन में 43 प्रतिशत गिरावट आई है। मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा डेढ़ गुणा अधिक वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप देश की जनसंख्या कम हो रही है। समाजवादी क्षेत्र का निजीकरण कर दिया गया है। उसकी कुछ इकाईयों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने मिट्टी के मोल खरीद लिया है। जन साधारण ने कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी के एकीकरण का उत्साहपूर्वक स्वागत किया था। आज वही लोग चाहते हैं कि बर्लिन की दीवार पुनः खड़ी कर दी जाए। नये एकीकृत जर्मनी में रोजगार, आवास तथा वेतन इत्यादि के मामले में पश्चिम जर्मनी तथा पूर्वी जर्मनी के मध्य इतना पक्षपात किया जाता है कि अब लोग समाजवाद की पुरानी डगर पर चलने को उत्सुक हो उठे हैं। कामकाजी महिलाओं तथा उनके अधिकारों के सम्बन्ध में प्रावदा जो पहले कभी सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रवक्ता था, ने खुल कर लिखा है कि कामकाजी महिलाओं को रसोई घरों में वापस चले जाना चाहिए, वे अपने बच्चों एवं परिवार की देखभाल करें तथा अपने पतियों एवं भाईयों के लिये रोजगार का मार्ग प्रशस्त करें।

येलत्सिन अर्थात् रूस के राष्ट्रपति ने अमरीका तथा पूंजीवादी

[पेज 19 पर]

इस अंक में

समाजवाद अपराजेय है !	2
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन	3
आंगनवाड़ी महिलाओं का द्वितीय सम्मेलन –*विमल रणदिवे*	7
आंगनवाड़ी महिला सम्मेलन के प्रस्ताव	12
महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार	13
आंगनवाड़ी महिलाओं का द्वितीय सम्मेलन – *सी एच बालमोहन*	14
नयी आर्थिक नीति के विरोध में	16
मूल्य वृद्धि पर	17
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के द्वितीय सम्मेलन की प्रत्यायक रिपोर्ट	18

सीटू के अखिल भारतीय कामकाजी महिला समिति के लिए विमल रणदिवे की ओर से 15, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001, (फोन नं. 3714071) सम्पादित और प्रकाशित प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रिएल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन

नीना राव

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका फेडरेशन (ए आइ एफ ए डब्ल्यू एच) का द्वितीय सम्मेलन मौलाली युवा केन्द्र कलकत्ता में आयोजित हुआ। कार्यकर्ताओं की उच्च आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के प्रतीक इस सम्मेलन में 15 राज्यों से आए 248 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये प्रतिनिधि देश के विभिन्न भागों एवं दूरवर्ती क्षेत्रों से आए थे ताकि वे मिल बैठकर राव सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण समन्वित बाल विकास कार्यक्रम (आइ सी डी एस) को उत्पन्न खतरे पर विचार कर सकें।

कामरेड अहल्या रांगनेकर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यद्यपि भारत सरकार निरंतर दावे कर रही है कि गरीबी की रेखा से अधिक से अधिक लोग ऊपर आ रहे हैं और वे इसका श्रेय नयी आर्थिक नीतियों को दे रही है तथापि वास्तविकता इसके सर्वथा विपरीत है। उन्होंने कहा कि हमारा सम्मेलन ऐसे गम्भीर अवसर पर हो रहा है जब देश की सम्प्रभुता का क्षरण हो रहा है और राष्ट्रीय अखण्डता की दृष्टि से अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो चुका है।

सम्मेलन स्थल का नामकरण कामरेड बिजयपाल के नाम पर जिन्होंने पश्चिम बंगाल में आइ सी डी एस स्टाफ का यूनियनकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किया गया था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार के साथ ही इस सम्मेलन का शुभारम्भ हुआ। कामरेड विमल रणदिवे, भवतोश राय, निरुपमा चैटर्जी, अहल्या रांगनेकर, उषा शर्मा (पंजाब), के एन विजयलक्ष्मी (आंध्र प्रदेश) तथा राजेश्वरी (तमिलनाडु) पर आधारित अध्यक्ष मंडल ने समारोह की कार्रवाई का संचालन किया।

भ्रातृ प्रतिनिधियों के शुभकामना संदेश

सी आइ टी यू के नेता कामरेड नीरेन घोष, जनवादी महिला समिति की कामरेड कनक मुखर्जी, एटक के कामरेड शैफाली भट्टाचार्य, एन एफ टी यू के आर के दत्त, कलकत्ता के महापौर प्रशांत चैटर्जी तथा पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी यूनियन के नेता सुशील ब्रह्मा इत्यादि ने सम्मेलन का अभिनंदन किया तथा अपने-अपने संगठनों की ओर से शुभकामना संदेश दिये।

अध्यक्षीय भाषण

कामरेड विमल रणदिवे ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमति व्यक्त करने के लिये पश्चिम बंगाल सी आइ टी यू का धन्यवाद किया। उन्होंने बम्बई माले दुर्घटना के पीड़ितों के प्रति रेलवे मंत्री के लापरवाही भरे व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की तथा महाराष्ट्र के प्रतिनिधियों के सुरक्षित पहुंचने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आंगनवाड़ी महिलाओं द्वारा सम्मेलन के लिये दिये गए अभूतपूर्व प्रत्युत्तर की प्रशंसा की। सम्मेलन में भाग लेने वाले 248 प्रतिनिधि 15 राज्यों में फैले संगठन के 40,000 सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आंगनवाड़ी आंदोलन त्रिपुरा तथा असम में भी शुरू हो गया है।

कामरेड रणदिवे ने बताया कि आंगनवाड़ी स्टाफ महिलाओं में सर्वाधिक शोषित वर्ग है। उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है और अत्यंत अल्प राशि मानदेय के रूप में दी जाती है। देश भर में 2,500 परियोजनाओं में 6 लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। उन्हें काम की निर्धारित अवधि

4 घंटों से भी अधिक काम करना पड़ता है। सहायिकाएं जिन पर काम का भारी-भरकम बोझ होता है, और भी अधिक शोषित होती हैं। उन्होंने 1991-92 के पश्चात् आइ सी डी एस स्टाफ द्वारा संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में किये गए संयुक्त संघर्षों का उल्लेख किया तथा कहा कि संघर्ष की इन कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप उनके मानदेय में 200 रुपये 400 रुपये की अल्पवृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि आइ सी डी एस स्टाफ के प्रति सभी कांग्रेस सरकारों का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण कदापि नहीं रहा किन्तु नरसिंहा राव सरकार की निजीकरण नीति से तो इस कार्यक्रम को गहरा आघात पहुंचा है। आंगनवाड़ी महिलाएं न केवल नव जन्म बच्चों की देखभाल का काम करती हैं अपितु नयी माताओं को भी शिक्षित करती हैं। उन्होंने आइ सी डी एस कार्यकर्ताओं की ओर से झेली जा रही कठिनाईयों की विस्तार में चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं पर काम का भारी बोझ डाला जा रहा है। उन्हें अपने काम के साथ-साथ स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के कार्य करने पड़ते हैं और चुनावों के समय भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। कामरेड रणदिवे ने बताया कि आंगनवाड़ी महिलाओं के यूनियनकरण से हमें कैसी शिक्षाएं मिली हैं। उन्होंने प्रतिनिधियों से

कहा कि वे संघर्ष की भावी कार्रवाई के साथ-साथ अपनी मांगों जिनमें सेवाओं को नियमित करने, न्यूनतम वेतन (कार्यकर्ता को १२०० तथा सहायिका को ८०० रुपये) का निर्धारण करने का लम्बित मामला तथा अन्य लाभ भी शामिल हैं, पर विचार करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें तथा राजनीतिक दल आइ सी डी एस स्टाफ का संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सी आइ टी यू इस संयुक्त आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। उस पर इस सम्मेलन के निर्णयों को कार्यरूप देने तथा संघर्ष के कार्यक्रमों को सफल बनाने का विशेष उत्तरदायित्व है।

महासचिव की रिपोर्ट

महासचिव कामरेड नीलिमा मोइत्र ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ ही उन्होंने फेडरेशन की राज्य इकाईयों द्वारा भेजी गई रिपोर्टें भी प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि नव-उपनिवेशवाद की नयी विश्व संरचना में जहां अमरीका स्वतंत्र देशों की सम्प्रभुता को संकट में डाल रहा है, राव सरकार की नीति उसके समक्ष समर्पण करने वाली है। वह कल्याणकारी क्षेत्र के लिये सरकारी सहायता बंद कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे लिये निजीकरण केवल आर्थिक मुद्दा ही नहीं है। इस नीति के अन्तर्गत उन सेवाओं को भी जो देश के भावी मानव संसाधन के विकास में उल्लेखनीय योगदान डाल रही हैं, समुचित धन लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है। गैर सरकारी संगठन इस महाकाय कार्य को कर सकेंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि गांवों तथा गंदी बस्तियों में जाकर बच्चों तथा उनकी माताओं को शिक्षित करने वाली इन महिलाओं को केवल पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तों के मामले में ही सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है। वे जीवन भर समाज की सेवा करती हैं किन्तु अपने सेवा काल की समाप्ति पर कोई लाभ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। जहां उन पर काम का बोझ निरंतर बढ़ाया जा रहा है वहां उनके पारिश्रमिक तथा सेवाओं को नियमित करने का मामला पूर्वतः अनसुलझा पड़ा है।

कामरेड मोइत्र ने बताया कि फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। ज्यों-ज्यों आइ सी डी एस स्टाफ जागरूक होता गया त्यों त्यों राज्यों में उसकी सदस्य संख्या बढ़ती चली गई। वर्तमान में फेडरेशन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन का रूप ले चुका है।

उन्होंने परियोजना स्तर से राज्य स्तर तक संगठन का निर्माण करके इसे और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा केरल इसके उदाहरण हैं। पांडिचेरी एकमात्र युनियन के अन्तर्गत आइ सी डी एस स्टाफ का यूनियनकरण करने के मामले में एक विशिष्ट उदाहरण है। कामरेड मोइत्र ने विशेष रूप से उन आठ राज्यों में जहां राज्य समितियों का गठन किया जा चुका है केन्द्र तथा राज्यों के मध्य निरंतर सम्पर्क बनाए रखने तथा समय-समय पर रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे इन संगठनों की जनवादी कार्य पद्धति को बल मिलेगा तथा उनके कार्यक्रम प्रभावशाली बनेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति तथा जनरल कौंसिल की बैठकों में उपस्थिति प्रायः अच्छी नहीं होती और सदस्यों का बहुत कम प्रत्युत्तर मिलने के कारण उसकी बैठकें नहीं हो पाती। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संयुक्त संघर्ष समिति जिसका केन्द्र तथा कुछ राज्यों गठन किया जा चुका है को देश भर में स्थापित करके इस संघर्ष को और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि न केवल मुद्दावार संघर्ष के कार्यक्रमों में भाग लेना अपितु एक सामान्य कार्यक्रम पर सहमति बनाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ट्रेड यूनियन तथा संघर्ष के कार्यक्रम की समीक्षा करने के पश्चात् उन्होंने कुछ मांगें प्रस्तुत कीं:

1. आइ सी डी एस का निजीकरण न किया जाए।
2. परियोजना स्तर पर कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवाएं नियमित की जाएं।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय १२०० रुपये प्रति मास तथा सहायिका का ८०० रुपये किया जाए। सेवाओं को नियमित करने जैसे लम्बित मामलों का निपटारा किया जाए।
4. चिकित्सा अवकाश।
5. कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् ५० रुपये ३० रुपये की दर से वेतनवृद्धि दी जाए।
6. पंचायतों की सहायता से उनके लिये स्थायी कक्षों का निर्माण किया जाए।
7. पूरे खर्चे को बढ़ाया जाए और उसका भुगतान समय पर किया जाए।
8. परियोजनाओं में एक समान नियम लागू किये जाएं।
9. जब इन कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को सामाजिक कार्यकर्ता कहा जाता है तो उनकी सेवानिवृति के लिये आयु की कोई सीमा नहीं हो सकती। इस पर भी जहां आइ सी डी एस स्टाफ को ६० वर्ष की आयु में काम से हटा दिया जाता है तो उन्हें १५०/- रुपये प्रति मास पेनशन के रूप में दिये जाने चाहियें।

कोषाध्यक्ष नीना राव ने पिछले खर्च का हिसाब दिया। उन्होंने बताया कि केन्द्र के लिये कोष उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। राज्यों को प्रत्येक वर्ष मार्च मास तक अपना सम्बद्धता शुल्क भेज देना चाहिये।

रिपोर्ट पर बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर पूरा दिन बहस हुई। उसमें 36 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हरियाणा के प्रतिनिधियों की शिकायत थी कि राज्य में आंगनवाड़ी महिलाओं को कई घंटे काम करना पड़ता है। उन्हें यात्रा भत्ते तथा महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता। उन पर परिवार नियोजन तथा महिला स्मृद्धि जैसे कार्यों का अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। अब उनसे चुनावों के लिये पहचान पत्र बनाने का काम करने के लिये कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे पास आंगनवाड़ी से सम्बन्धित अपना काम करने के लिये समय ही नहीं रहता।

राजस्थान के प्रतिनिधियों ने अपनी यूनियन की आलोचना करते हुए कहा कि वह केवल एक व्यक्ति पर आधारित रही। जब उसने काम करना बंद कर दिया तो संगठन में भारी शून्य उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में जब परिवार नियोजन के मामले में आंगनवाड़ी महिलाओं के विरुद्ध प्रतिशोध की कार्रवाई की जाती है तो, कोई भी उनकी सहायता करने के लिये आगे नहीं आता। जहां कुछ लोग आते-जाते रहते हैं, पर क्योंकि हम स्थानीय महिलाएं हैं इसलिये हमें अपने काम के लिये जवाबदेह होना पड़ता है।

तामिलनाडु की प्रतिनिधियों ने कहा कि अपनी सेवाओं को नियमित होने की 12 वर्षों तक प्रतीक्षा करने के पश्चात् अब उन्होंने चार घंटों से अधिक काम न करने का निर्णय किया है। उनके संघर्ष के फलस्वरूप सहायिकाओं को प्रोन्नति मिली है तथा प्रत्येक दीपावली के अवसर पर सभी आंगनवाड़ी महिलाओं को एक-एक साढ़ी तथा एक-एक ब्लाउज दिया जाने लगा है। उन्होंने बताया कि वे "स्वयंसेवी सामाजिक कार्यकर्ता" कहलाना पसंद नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेश पर ही आंगनवाड़ी परियोजना का निजीकरण किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके संगठन की प्रकृति कैसी है और अन्य जन संगठनों से उन्हें किस प्रकार की सहायता मिलती है। उन्हें उन पुरुषों के साथ विवाह करके गौरव की अनुभूति हो रही है जो पंचायतों के लिये चुने गए हैं। वे सभी संघर्षों में भाग लेती हैं और उन्होंने अपने संगठन की सदस्य संख्या बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कर्नाटक की प्रतिनिधियों ने सम्मेलन को बताया कि यदि वे आंदोलन करती हैं या कोई सीधी कार्रवाई करती है तो राज्य की महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती बसवा राजेश्वरी उन्हें इस परियोजना का निजीकरण करने की धमकी देती हैं। उन्होंने बताया कि परियोजना अधिकारी निहित स्वार्थी तत्वों के साथ मिल कर पैसा कमा रहे हैं तथा वे आंगनवाड़ी महिलाओं को हैरान-परेशान करते हैं।

आंध्र प्रदेश की प्रतिनिधियों ने बताया कि वे १००० रुपये की एक्स-ग्रेशिया राशि प्राप्त करने में सफल रही हैं। उन्होंने मांग की है कि महिला विकास कार्यालय में रिक्त स्थानों पर आंगनवाड़ी महिलाओं की नियुक्तियां की जाएं। उन्होंने 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की भी मांग की है। उन्होंने अनुभव किया है कि आंगनवाड़ी महिलाओं को मिलने वाला मकान किराया भत्ता अपर्याप्त हैं। इस मुद्दे से सभी राज्य प्रभावित हुए हैं।

हिमाचल प्रदेश की प्रतिनिधियों ने बताया कि उन्होंने राज्य की 42-परियोजनाओं में संगठन बनाने का काम शुरू किया है। उन्हें संगठन बनाने में केन्द्र की सहायता की आवश्यकता है। वे न्यूनतम वेतन के लिये पहले ही एक दिवसीय धरना दे चुकी हैं। उन्होंने सी आइ टी यू की सहायता के लिये आभार व्यक्त किया।

बिहार की प्रतिनिधियों ने महिला स्मृद्धि कार्यक्रम के विरुद्ध महिलाओं को चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में अभी उनके संगठन का गठन ही हो रहा है। फिर भी आइ सी डी एस स्टाफ ने ट्रेड यूनियन संघर्षों में भाग लिया है। उन्होंने 29 सितंबर को जेल भरो कार्यक्रम के अन्तर्गत गिरफ्तारियां भी दी थीं। उड़ीसा की प्रतिनिधियों ने आंगनवाड़ी महिलाओं के लैंगिक दोहन का मामला उठाया तथा कहा कि प्रतिकार करने पर उन्हें काम से बाहर निकाल देने की धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया कि उन्हें कैसी बुरी परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है।

पंजाब की प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में आइ सी डी एस स्टाफ अत्यंत अपमानजनक स्थितियों में काम करने पर विवश है। वे बहुत गरीब है और इस पर उन्हें उस सेवा से बाहर निकालने की धमकी राज्य सरकार देती है जो वह अपने समाज के लिये करती हैं।

कामरेड ज्योति बसु द्वारा प्रतिनिधियों का अभिनंदन

सी आइ टी यू के उपाध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्याति बसु ने भी प्रतिनिधि सत्र में भाग लिया। उन्होंने सम्मेलन के आयोजन पर बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने आंगनवाड़ी महिला संगठन बनाने के लिये प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि इस अच्छी परियोजना को समुचित ढंग से कार्यरूप कैसे दिया जाए। 1975 में शुरू हुई आइ सी डी एस परियोजना के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल का अनुभव अच्छा रहा है। इसीलिये राज्य सरकार ने 45 और परियोजनाएं शुरू करने का आदेश दिया है ताकि इससे लाभान्वित होने के लिए और २० लाख लोगों को इसकी परिधि में लाया जा सके। उन्होंने प्रतिनिधियों को सुझाव दिया कि वे प्रत्येक राज्य की आइ सी डी

एस परियोजनाओं का विश्लेषण करें तथा उन्हें कार्यरूप देने की विधियों की समीक्षा करें तभी वे इस सम्बन्ध में भारत सरकार के विचारों को जान सकेंगे। और उन्हें पता चल जाएगा कि भारत सरकार की नीतियां किस सीमा तक इन परियोजनाओं के विरुद्ध जाती हैं। उन्होंने कहा, ''यदि हमें तथ्यों की जानकारी होगी तो हम भारत सरकार जो यह कहती है कि आंगनवाड़ी महिलाएं समर्पण भाव से काम नहीं करतीं, के विरुद्ध टक्कर ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सभी काम नहीं कर सकती। उसकी नीतियों के लाभ जनता तक पहुंचे इसके लिये उसे स्वयंसेवी संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। गैर सरकारी संगठन उनका विकल्प कदापि नहीं हो सकते। उन्होंने बताया कि इन कल्याणकारी परियोजनाओं को चलाने के लिये कोष उपलब्ध कराने के अपने उत्तरदायित्व को भारत सरकार पूर्ण नहीं कर रही है। ''यदि देश दिवालिया हो गया है तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है!'' इस पूंजीवादी-सामंती व्यवस्था में बेरोजगारी तथा मूल्यों में अपार वृद्धि हो रही है। भूमि-सुधारों तथा आत्मनिर्भरता के कार्यक्रमों को छोड़ दिया गया है। अमीर तथा गरीब के मध्य खाई गहरी होती चली जा रही है। सभी जनसंगठन इस नीति परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठन तथा स्वयंसेवी संस्थाएं वह काम नहीं कर रहीं जिसे आइ सी डी एस पूर्ण कर चुकी है। कॉमरेड बसु ने कहा कि वह योजना आयोग की अगली बैठक में आइ सी डी एस कार्यकर्ताओं को नियमित करने के मामले का समर्थन करेंगे। इन परियोजनाओं का निजीकरण करने की अपेक्षा सरकार को हमें बताना चाहिये कि हमारी दुर्बलताएं क्या है, हम उन्हें अपने अनुभव के बल पर दूर कर सकते हैं।'' कामरेड बसु ने कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि वे एक बड़ा आंदोलन चलाएं क्योंकि इसके बिना वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चुनावों के समय केंद्र सरकार भारी दबाव में होगी, अतः उन्हें उस समय कार्रवाई की किसी बड़ी योजना को शुरू करना होगा।

पश्चिम बंगाल सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजूमदार तथा सी आइ टी यू केंद्र की ओर से कामरेड रणजीत बसु ने भी प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया।

सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे ने समापन दिवस पर प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन की मांग गरीबी की रेखा की व्याख्या है। १२००-८००रुपये की मांग अभी भी गरीबी की रेखा के अंतर्गत है। इसलिये गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिये हमें श्रमिक आंदोलन को और विकसित करना होगा। कामरेड पंधे ने बताया कि नयी आर्थिक नीतियों के संदर्भ में सी आइ टी यू आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन करने के लिये प्रतिबद्ध है।

इस पर प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि वे दस से पंद्रह अप्रैल के मध्य किसी भी दिन दिल्ली में एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे। इसके साथ ही नियमित करने की अपनी मांग पर बल देने के लिये राज्य एवं परियोजना स्तर पर धरने देंगे। सम्मेलन में अधोलिखित प्रस्ताव पारित किये गये:

1. बम्बे-मेल दुर्घटना पर रेलवे मंत्री जाफर शरीफ से त्याग पत्र की मांग।

2. साम्प्रदायिकता के प्रश्न पर।

3. अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध में।

4. समन्वित बाल विकास कार्यक्रम का निजीकरण करने के विरोध में

5. बच्चों तथा महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में।

6. आइ सी डी एस स्टाफ को नियमित करने की मांग के पक्ष में।

प्रत्यायक [क्रेडेंशियल] समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले 190 प्रतिनिधि आइ सी डी एस कार्यकर्ता थीं जबकि केवल दस प्रतिनिधि सहायिकाएं थीं। यह तथ्य है कि सम्मेलन की अधिकांश मांगें कार्यकर्ता महिलाओं के साथ संबंध रखती थीं। इसे सभी प्रतिनिधियों ने अनुभव किया। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि फेडरेशन को इस तथ्य को भी देखना चाहिये कि सहायिकाएं अधिक संख्या में संगठन की समस्याएं हैं तथा अधिक सक्रिय हैं।

सम्मेलन ने नयी जनरल कौंसिल, कार्यसमिति तथा पदाधिकारियों का चुनाव किया। ऐसा करते समय संगठन शक्ति, सदस्यता तथा कार्रवाई योजनाओं एवं संघर्षों में राज्यों द्वारा दिये गए नेतृत्व इत्यादि पर भी विचार किया गया। सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन पश्चिम बंगाल में है। उसके पश्चात् तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्रप्रदेश, पांडिचेरी तथा कर्नाटक का स्थान है।

समारोह का समापन एस्प्लानेड मैदान में आयोजित एक जनसभा के साथ हुआ। अन्य नेताओं के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री कामरेड विनय चौधरी ने उसे संबोधित किया। उन दिनों कलकत्ता में रह कर सम्मेलन की कार्रवाई को देखने वाला कोई भी व्यक्ति [प्रतिनिधि] उसकी कार्रवाई तथा जीवंत विचार विमर्श को कभी भुला नहीं सकेगा। इस विचार विमर्श के फलस्वरूप प्रतिनिधियों को न केवल अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाने में सहायता मिली अपितु उन्होंने नये-नये विचारों को ग्रहण किया तथा संघर्ष के लिये अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ बनाया। □

आंगनवाड़ी महिलाओं का द्वितीय सम्मेलन

विमल रणदिवे

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन 27-29 अक्टूबर, 1994 को मौलाली युवा केंद्र कलकत्ता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन के आयोजन का उत्तरदायित्व पश्चिम बंगाल सी आइ टी यू विशेष रूप से कलकत्ता सी आइ टी यू ने संभाला। पश्चिम बंगाल ने जब सम्मेलन के आतिथेय के कर्त्तव्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया तो हम सब को बहुत राहत मिली थी, 'सब काम ठीक-ठाक हो जाएगा और चिन्ता करने की कोई बात नहीं है,' हम सब की ऐसी ही भावनाएं थीं। मेरी भी यहीं भावनाएं थीं। और इन्हीं भावनाओं के वशीभूत होकर हम सब ने कलकत्ता के लिये प्रस्थान किया था। हमें चाय एवं भोजन देने के लिये आंगनवाड़ी महिलाएं मानों पहले से ही तैयार बैठी थीं। फेडरेशन की महासचिव कामरेड नीलिमा मोइत्र सम्मेलन के लिये कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से एक महीना पहले ही कलकत्ता पहुंच गईं थीं। यह बहुत भारी उत्तरदायित्व था, इसमें संदेह नहीं है। सभी दस्तावेजों को प्रकाशित कराना, प्रतिनिधियों के ठहरने, खाने, वाहन इत्यादि की व्यवस्था करना सहज कार्य नहीं था। सभी कामों के लिये समुचित साथियों को लगाया गया था। अत: इस प्रकार के सैकड़ों कार्य थे जिन्हें कामरेड नीलिमा ने कार्यरूप दिया था।

प्रसन्नता का विषय है कि अनेक जन संगठनों ने सम्मेलन के लिये वित्तीय तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता देने की इच्छा व्यक्त की। कंस्ट्रक्शन वर्करस यूनियन, किसान सभा, जनवादी महिला समिति की पश्चिम बंगाल इकाई, इलेक्ट्रिकसिटी वर्करस यूनियन, फिलिप्स तथा अन्य अनेक श्रमिक संघों एवं संगठनों ने धन के साथ-साथ हर प्रकार की सहायता सम्मेलन के आयोजनार्थ दी है। गणतांत्रिक महिला समिति का विशेष रूप से उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। उसकी ओर से प्रतिनिधियों के लिये लगभग 270 बैग भेंट किये गए।

आंगनवाड़ी महिलाओं की पश्चिम बंगाल इकाई सब से पुरानी है। उसका संगठन तथा सदस्य संख्या अच्छी स्थिति में है। मुझे अभी स्मरण है कि 1986 या उसके आस-पास कामरेड विजयपाल तथा कामरेड निरूपमा चैटर्जी ने, शायद हम किसी सभा भवन में बैठे थे, मुझसे बातचीत करते समय इच्छा व्यक्त की थी कि सी आइ टी यू को आंगनवाड़ी महिलाओं की फेडरेशन का गठन करके अखिल भारतीय स्तर पर उनके मध्य कार्य करना चाहिये। उन्होंने यह भी बताया था कि आंगनवाड़ी महिलाओं की कामकाजी स्थिति अत्यंत खराब हैं। एक कार्यकर्ता को साठ-सत्तर रुपये तथा सहायिका को तीस-पैंतालीस रुपये प्रतिमास मानदेय दिया जाता है। कामरेड विजयपाल आंगनवाड़ी महिलाओं के शोषण से अत्याधिक दुखी थे और वह गंभीरतापूर्वक यह काम हाथ में लेने के पक्षधर थे। सर्वविदित है कि कामरेड बी टी रणदिवे शोषित महिलाओं की समस्याओं को हाथ में लेने और उनके निराकरण हेतु संघर्ष करने के लिये सुख्यात थे। अत: वह आंगनवाड़ी महिलाओं की फेडरेशन बनाने के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। सी आइ टी यू की सहायता से आंगनवाड़ी महिलाओं के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 1989 में नयी दिल्ली के हिमाचल भवन में किया गया। कामरेड रणदिवे ने स्वयं उस सम्मेलन को संबोधित किया था। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं को जागरूक होने तथा अपमानधन अर्थात् 110 के अल्प मानदेय के विरोध में संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी।

वह समुचित अवसर है कि हम आंगनवाड़ी फेडरेशन के संस्थापक सदस्य कामरेड विजय पाल के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। सम्मेलन के सभा भवन का नामकरण कामरेड विजय पाल के नाम पर तथा मंच का नामकरण केरल की कामरेड गिरिजा पोटी जो कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की अग्रणी सदस्या थीं के नाम पर किया गया। ऐसा करना सर्वथा उचित ही था। दुर्भाग्यवश कामरेड पोटी कुछ वर्ष पूर्व हमसे सदा-सर्वदा के लिये बिछुड़ गई थीं।

27 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे कार्यकर्ताओं तथा प्रतिनिधियों द्वारा लगाए जा रहे गगनचुम्भी नारों के मध्य ध्वजारोहण किया गया। उसके पश्चात उनसे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाने के लिये कहा गया। शहीदों तथा बिछुड़े साथियों के लिये शोक प्रस्ताव पारित किये गए तथा उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई। हर्ष का विषय है कि सम्मेलन के लिये अनेक भ्रातृ संगठनों की ओर से शुभ कामना संदेश भेजे गए। कामरेड कनक मुखर्जी ने जनवादी महिला समिति की ओर से प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि हमारे नियंत्रण पर संयुक्त संघर्ष समिति के दो साथी वहां आए और उन्होंने प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। एटक की कामरेड शैफाली भट्टाचार्य तथा एन एफ टी यू की कामरेड दत्ता ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। इससे शोषित महिलाओं

सम्मेलन का आरम्भ होने पर सर्वप्रथम बिछुड़े साथियों तथा शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की गई।

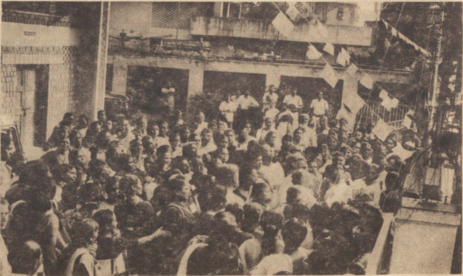

अध्यक्ष कामरेड विमल रणदिवे द्वारा लाल ध्वज फहराया गया। इस अवसर का एक चित्र।

जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष कामरेड कनक मुखर्जी प्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए।

पश्चिम बंगाल सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड नीरेन घोष भाषण करते हुए

की पीड़ा दूर करने के वृहत लक्ष्य के प्रति ट्रेड यूनियनों के मध्य एकता की भावना उत्पन्न हुई है। देश की लगभग सभी प्रमुख ट्रेड यूनियनों पर आधारित संयुक्त संघर्ष समिति का नाम अब लगभग सभी राज्यों में जाना जाने लगा है। प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु का स्वागत किया। उनके भाषण को प्रतिनिधियों ने अत्यंत शांतिपूर्वक सुना तथा उनकी ओर से दिये गए सुझावों को प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया। कलकत्ता के महापौर कामरेड प्रशांत चैटर्जी ने भी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। सी आइ टी यू महासचिव कामरेड एम के पंधे ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते समय जहां उनके लक्ष्य के प्रति समर्थन व्यक्त किया वहीं अनेक सुझाव भी दिये। पश्चिम बंगाल सी आइ टी यू के अध्यक्ष कामरेड नीरेन घोष तथा महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजूमदार ने भी प्रतिनिधियों का अभिवादन किया। पश्चिम बंगाल की कल्याण मंत्री कामरेड छाया बेरा ने भी प्रतिनिधियों को संबोधित किया।

प्रतिनिधियों की भाषा समस्या

प्रतिनिधियों को भाषा की समस्या का सामना करना पड़ा। यह ठीक है, हम सभी सम्मेलनों में इस समस्या का सामना करते हैं। प्रतिनिधि क्योंकि विभिन्न राज्यों से आते हैं इसलिये उनकी भाषाएं भी भिन्न होती हैं जैसे तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, मराठी तथा पंजाबी इत्यादि। हमने उन्हें अलग-अलग बिठा कर सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों को समझाने का प्रयास किया। वे अलग-अलग बैठी भी। किंतु उनके हिंदी या अंग्रेजी भाषा न जानने के कारण समस्या उत्पन्न हुई। इसलिये हमारा यह परीक्षण सफल नहीं रहा। एक घटना से पूरी वास्तविकता का पता चल जाता है। हरियाणा की कामरेड सरोज ने हिन्दी में भाषण दिया। उसने अच्छे मुद्दे उठाए किंतु उनका अनुवाद ही नहीं किया जा सका। अन्य वक्ताओं को भी बुलाया गया। दक्षिण की प्रतिनिधि जानना चाहती थीं कि कामरेड सरोज ने क्या कहा है। फेडरेशन के नेताओं को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि भविष्य में हम कैसे सभी भाषणों का भाषांतर करा सकते हैं। हिंदी बनाम दक्षिण भारतीय भाषा हमारे लिये प्रधान समस्या बन जाती है। इससे पूरे भारत का दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता है। यह बात गलत है, इसमें संदेह नहीं। एक और बात रेखांकित की गई। महाराष्ट्र की प्रतिनिधियों ने मराठी की अपेक्षा हिंदी में भाषण दिये। इससे समय की बचत हो सकी। इससे पता चलता है कि वस्तुगत स्थिति क्या है। अंतिम समय तक हम पंजाब के प्रतिनिधिमंडल की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से उनका प्रतिनिधिमंडल सम्मेलन में भाग लेने के लिये पहुंच नहीं सका। उनके केवल तीन प्रतिनिधि ही पहुंच सके।

सम्मेलन में बहस

महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में लगभग 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उनके भाषणों का प्रमुख विषय क्या था? सी डी पी ओज का भ्रष्टाचार, समय पर वेतन नहीं मिलना, अपनी जेब से ईंधन खर्च करने की विवशता, काम का अतिरिक्त बोझ जैसे पहचान पत्र बनाने के काम में उनसे सहायता करने के लिये कहना इत्यादि। किंतु उनका एक और दृष्टिकोण भी था। एक्स-ग्रेशिया बोनस की अपनी मांग के लिये किस प्रकार आंगनवाड़ी महिलाओं ने संघर्ष किया, उत्सव बोनस के लिये संघर्ष, लम्बी हड़तालें तथा दमन, महीनों तक जेल भरो आंदोलन चलाना, 17 जून की हड़ताल तथा उसमें भाग लेना, 29 सितंबर की हड़ताल के लिये जन-अभियान चलाना इत्यादि। श्रोताओं ने तालियां बजा-बजा कर उनके भाषणों पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। कार्य समिति ने न्यूनतम वेतन तथा नियमितकरण के प्रश्न पर अपनी रिपोर्ट प्रतिनिधि सत्र में प्रस्तुत करने से पूर्व विचार किया। यह प्रश्न उठाया गया कि क्या छह लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की सेवाओं का नियमित होना संभव है? रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिये 'काम के अधिकार' का नारा क्या तथा सहायिकाओं के पद नाम ''सामाजिक कार्यकर्ता'' वास्तविकता में परिवर्तित हो सकेगा? जब तक केंद्रीय सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं'' को परिवर्तित नहीं करती तब तक वे नियमित नहीं हो सकेंगी। अतः यह एक लम्बा संघर्ष है तथा उस समय तक जारी रहेगा जब तक हम कार्यकर्ता के लिये 1200 तथा सहायिका के लिये 800 रुपये के न्यूनतम वेतन की मांग को स्वीकार नहीं करा लेते।

विशाल जुलूस एवं जनसभा

युवा केंद्र से डल्हौजी चौक तक एक लम्बा एवं शानदार जुलूस निकाला गया तथा एक भारी जनसभा का आयोजन किया गया। उसमें हजारों महिलाएं शामिल हुईं। पूरा स्थल खचाखच भरा हुआ था। यह सम्मेलन की सफल परिणिति थी। जनसभा को संबोधित करने वालों में अन्य नेताओं के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री कामरेड विनय चौधरी, पूर्व कल्याण मंत्री श्रीमती निरुपमा चैटर्जी भी शामिल थीं। केवल एक कमी रही। हमें जनसभा का आरंभ पहले करना चाहिये था ताकि महिलाएं समय पर विभिन्न जिलों में स्थित अपने घरों में जाने के लिये रेलगाड़ी पकड़ पातीं। आयोजकों के आश्चर्य का उस समय कोई ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि मात्र जनसभा में भाग लेने के लिये ही नागपुर से ढाई सौ महिलाएं तथा दूरवर्ती दार्जिलिंग जिले से पचास महिलाएं पहुंची थीं।

दुर्बलताएं

यद्यपि प्रतिनिधियों ने यह प्रभाव ग्रहण किया है कि सम्मेलन अत्याधिक सफल रहा तथापि हम अनुभव करते हैं कि हमारे कार्य में कुछ दुर्बलताएं या कमियां भी रही हैं। हमारे संविधान में जनरल कौंसिल का प्रावधान है, किंतु हम जनरल कौंसिल का गठन करके

भी इस कार्य का संपादन सफलतापूर्वक नहीं कर सके हैं। अनेक सदस्य बैठक में भाग लेने के लिये नहीं आते। आंगनवाड़ी महिलाओं के लिये अकेले यात्रा करना भी एक समस्या है। कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में सगठन के मुद्दों तथा मांगों पर विचार किया गया। समिति के अनेक सदस्यों का विचार था कि वर्तमान में जनरल कौंसिल की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये हमें अपने संविधान में संशोधन करना होगा। अच्छी बात है कि कार्यसमिति की बैठकें होती हैं और उनमें मांगों पर विचार किया जाता है। कार्य समिति के नये सदस्य यद्यपि प्रत्येक बात से संतुष्ट नहीं है, किंतु राज्यों से आई सदस्याओं ने निदेश के अनुसार नामों का प्रस्ताव किया और जनरल कौंसिल तथा कार्य समिति द्वारा अंतिम सूची को पारित किया गया। हमारी एक दुर्बलता रही है। हम उन्हें अभी तक उनके अधिकारों के प्रति पर्याप्त जागरूक करने में सफल नहीं रहे हैं। आंगनवाड़ी महिलाएं अत्यंत पिछड़ी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ संबंध रखने के कारण राजनीतिक दृष्टि से अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हुई हैं। हमारे नेताओं के लिये करने योग्य यही काम है। वे उनके अधिकारों के प्रति सजग हैं, वे उनके लिये संघर्ष करते हैं, उन्होंने लम्बे आंदोलन चलाएं हैं, वे धरनों तथा अनशन पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता तो बहुत जागरूक हैं। वे पंचायतों के लिये चुने गए हैं। वे राजनीतिक दृष्टि से भी चेतन है। सामान्य रूप से फेडरेशन के नेताओं को उन्हें शिक्षित करने के लिये कक्षाओं का आयोजन करना होगा और इस कार्य में दिलचस्पी लेनी होगी। आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की कक्षाओं का आयोजन किया गया है। अनेक आंगनवाड़ी यूनियनें राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ संबद्ध है, वे उनका मार्गदर्शन करते हैं। कुछ यूनियनें सी आइ टी यू के साथ संबद्ध हैं और कुछ ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा है। यद्यपि हमने सम्मेलन में नयी आर्थिक नीतियों तथा सांप्रदायिकता के विरोध में प्रस्ताव पारित किये हैं, किंतु हम उन पर समुचित ढंग से विचार नहीं कर सके हैं। यह हमारी दुर्बलता रही।

हमारा अपना वर्गः आंगनवाड़ी महिलाएं

यह हमारा अपना वर्ग है जो बहुत पिछड़ा है और ''सामाजिक कार्यकर्ता'' के रूप में 400–200 रुपये का अल्प मानदेय प्राप्त करके वह अपमानित होता है। हमारे संयुक्त संघर्षों के फलस्वरूप ही उन्हें यह अल्प मानदेय भी मिलने लगा है। अतः फेडरेशन के नेता होने के कारण हमारा कर्तव्य है कि हम इस अपमानजनक स्थिति को यथाशीघ्र समाप्त करने का प्रयास करें। संसद के बजट सत्र के समय अगला ''दिल्ली चलो'' प्रदर्शन संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हो रहा है। इससे निश्चित रूप से राज्यों में हमारे आंदोलन की प्रगति के लिये मार्ग प्रशस्त होगा। सम्मेलन इन भावी कार्यों की सफलता के प्रति आश्वस्त था।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए।

तृतीय विश्व के देशों के विरोध में साम्राज्यवादी षडयंत्र

सोवियत संघ का पराभव होने तथा पूर्व सोवियत संघ एवं पूर्वी यूरोप के पूर्व समाजवादी देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था लागू होने से साम्राज्यवादी शक्तियां लाभकारी स्थिति में आ गई हैं। उन्होंने स्वयं को विश्व के एकमात्र संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करना शुरू कर दिया है। ऐसा संरक्षक जो किसी भी देश पर कोई भी शर्त लागू कर सकता है। इन शक्तियों का नेतृत्व अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा किया जा रहा है।

चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया जैसे समाजवादी देशों के विरुद्ध बहुपक्षीय छालयोजित आक्रमण करने के साथ-साथ साम्राज्यवाद तृतीय विश्व के देशों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। उद्देश्य स्पष्ट है- इन देशों की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना तथा उन्हें नव-औपनिवेशिक शोषण के जाल में फंसाना। साम्राज्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था गंभीर आर्थिक संकट में फंसी हुई है। उत्पादन की पूंजीवादी विधि के जारी रहते उस संकट को दूर नहीं किया जा सकता और इन देशों ने इसी विधि को अपनाया हुआ है। इसीलिये ये देश तृतीय विश्व के देशों के विशाल बाजार पर अपनी गिद्ध दृष्टि डाले हुए हैं ताकि वे अपने संकट से छुटकारा पा सकें और पूंजीवाद को नया जीवन दे सकें।

साम्राज्यवादी विश्व प्रायः तृतीय विश्व के देशों को ऋण देता है और उसके बदले में उन पर अपमानजनक शर्तें लाद देता है ताकि इन देशों का नियंत्रण अंततः साम्राज्यवादी देशों के हाथ में आ जाए और पूंजीवादी विश्व के लाभार्थ इन देशों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा भारत को ऋण देने तथा अपनी शर्तें लादने से संबंधित हाल ही की घटनाएं साम्राज्यवादी विश्व के षडयंत्रकारी उद्देश्यों का ही साक्षात प्रमाण हैं। गैट करार साम्राज्यवादी विश्व के ऋण जाल को और सदृढ़ करता है।

दुर्भाग्यवश, तृतीय विश्व के देशों में अधिकांश सत्ताधारी क्षेत्र अनेक समाजवादी देशों में समाजवाद को धक्के लगने के पश्चात् साम्राज्यवाद के इन षडयंत्रों का समुचित प्रत्युत्तर नहीं देते। वे सत्ताधारी क्षेत्र साम्राज्यवादी षडयंत्रों तथा साम्राज्यवाद के समक्ष अपने आत्मसमर्पण करने से संबंधित तथ्यों के बारे में जनता को अंधकार में रखते हैं। भारत जैसे विशाल देश जिसकी जनसंख्या नब्बे करोड़ है, के मामले में भी यही हो रहा है।

ऐसी स्थिति में तृतीय विश्व के देशों की जनता को साम्राज्यवाद के षडयंत्रों से जागरूक रहने की आवश्यकता है और उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में जन प्रतिरोध को विकसित करना होगा। साम्राज्यवाद पूरे विश्व को ही निगलने तथा सर्वत्र शोषण पर आधारित समाज का पुनर्गठन करने का दिवा स्वप्न देख रहा है।

इतिहास ने प्रमाणित कर दिया है कि पूंजीवाद और उसी का बड़ा भाई साम्राज्यवाद श्रमिक वर्ग की मूलभूत समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। केवल समाजवादी समाज व्यवस्था में ही उनकी मूलभूत आवश्यकताओं का समाधान निकल सकता है।

इसलिये, यह सम्मेलन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं जो मेहनतकश जनता का ही एक भाग है, को आह्वान करता है कि वे जागरूक होकर साम्राज्यवादी षडयंत्रों के कारण जन जीवन पर पड़ रहे गंभीर दुष्प्रभावों को अनुभव करें। इसके साथ ही वे साम्राज्यवादी शक्तियों के विरोध में चल रहे संघर्षों की भागीदार बनें। □

रेल दुर्घटना

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का यह सम्मेलन गत 26 अक्टूबर '94 को बम्बई हावड़ा मेल के दुर्घटनाग्रस्त होने पर गहरा शोक व्यक्त करता है। इस रेल दुर्घटना में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। सम्मेलन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी पूर्ण सहानुभूति व्यक्त करता है।

यह सम्मेलन भारतीय रेलवे में ऐसी दुर्घटनाओं के प्रति रेलवे मंत्रालय के रूख पर तीव्र आक्रोश व्यक्त करता है। दुर्भाग्य का विषय है कि केंद्रीय रेलवे मंत्रालय ने निर्लज्जता का परिचय देते हुए वर्तमान दुर्घटना का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने से ही इंकार कर दिया है। सम्मेलन ऐसे अनुत्तरदायी व्यवहार की घोर निंदा करता है। सम्मेलन मांग करता है कि उन यात्रियों के परिवारों जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तथा गंभीर रूप से घायल होने वाले यात्रियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जाए।

यह सम्मेलन मांग करता है कि भारतीय रेलवे में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किये जाएं ताकि जनता असुरक्षा के भय से मुक्त होकर सुरक्षित यात्रा कर सके। □

महिलाओं तथा बच्चों पर अत्याचार

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन गहरी चिंता के साथ महिलाओं विशेष रूप से युवा लड़कियों पर अत्याचारों की बढ़ रही घटनाओं को रेखांकित करता है। बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाओं में दुखदायी सीमा तक वृद्धि हुई है। सर्वाधिक शोचनीय तथ्य परिवार के बालग पुरुष सदस्यों जिनमें पिता भी शामिल है, द्वारा अबोध बच्चों के साथ बलात्कार करता है। लड़की के जन्म को रोकने हेतु लिंग-निर्धारण परीक्षणों के कारण लिंग-प्रतिशत का असंतुलन और बिगड़ गया है। यह प्रतिशत पिछले अनेक वर्षों से बिगड़ता ही चला जा रहा है। देश के अनेक भागों विशेष रूप से राजस्थान में अभी भी बाल विवाह एक सर्वमान्य प्रथा बनी हुई है। इसी प्रकार तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में नवजात बच्चियों की हत्या करके अत्यंत बरबरतापूर्ण ढंग से दहेज समस्या का समाधान ढूंढ़ा जाता है।

देश भर में दहेज मृत्यु, बलात्कार, पुलिस हिरासत में बलात्कार तथा लैंगिक उत्पीड़न जैसी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसमें एक और आयाम जुड़ जाता है जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करके महिलाओं पर लैंगिक अत्याचार किये जाते हो और पुलिस का अपराधीकरण हो गया हो। जालगांव तथा अन्य स्थानों में पिछले दिनों इसी प्रकार के मामले प्रकाश में आए हैं।

उदारीकृत प्रचार माध्यमों के प्रभाव स्वरूप महिलाओं को उपभोक्ता वस्तु तथा सेक्स के प्रतीक चिन्ह के रूप में चित्रित करने की प्रवृति को बढ़ावा मिला है।

निचले स्तर पर महिलाओं जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं तथा 'साथिनों' को कामोत्तेजक हमले करके आतंकित करने का एक नया रुझान पनपा है ताकि उन्हें सामंती महिला विरोधी कार्यों का प्रतिकार करने तथा उनकी पोल खोलने से रोका जा सके। यह और भी दुखद बात है कि राज्य भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय महिलाओं को आतंकित करने के मामले में किसी से पीछे नहीं है। उतराखण्ड आंदोलन के समय इसका दृष्टांत हम देख चुके हैं।

यह सम्मेलन मांग करता है कि [क] उन सभी लोगों को जिनकी महिलाओं पर अत्याचार के मामले में पहचान हो चुकी है, दण्ड दिया जाए, [ख] पीड़ित महिलाओं को तेजी के साथ न्याय दिलाने के लिये कानून में परिवर्तन किया जाए, [ग] सरकार पीड़ितों का पुनर्वास करें।

यह सम्मेलन पिछड़ी तथा महिला विरोधी परम्पराओं के विरोध में संघर्ष करने का प्रण करता है तथा इन अत्याचारों के पीड़ितों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करता है। यह मांग करता है कि:

1. उन सभी सरकारी कर्मचारियों [जैसे पुलिस] को नौकरी से हटा दिया जाए जो समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण देते हैं।

2. अपराधपूर्ण रिकार्ड रखने वाले व्यक्तियों को कार्यालयों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए।

आंगनवाड़ी फेडरेशन की नयी समिति के पदाधिकारी

अध्यक्षः	विमल रणदिवे
कार्यकारी अध्यक्षः	भबतोष राय
उपाध्यक्ष :	1. निरुपमा चैटर्जी (पश्चिम बंगाल)
	2. के० हेम लता (आंध्र प्रदेश)
	3. अहल्या रांगनेकर (महाराष्ट्र)
	4. केरल से एक साथी
	5. लक्ष्मी सहगल (उत्तर प्रदेश)
महासचिव :	नीलिमा मोइत्र
सचिव गण :	1. एम पालनिनाथन (तमिलनाडु)
	2. किरण मोघे (महाराष्ट्र)
	3. पंजाब से एक साथी
	4. सी एच बालमोहन (पांडिचेरी)
कोषाध्यक्ष :	नीनाराव

आंगनवाड़ी महिलाओं का द्वितीय सम्मेलन

सी एच बालमोहन [पांडिचेरी]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के द्वितीय सम्मेलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। यह सम्मेलन 27-29 अक्टूबर 1994 को कलकत्ता में हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु ने 28 अक्टूबर को प्रतिनिधि सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा था कि कलकत्ता भले ही एक गरीब शहर है किंतु इसमें रहने वाले लोग विशाल हृदय के तथा दयालु प्रकृति के हैं, वे यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का मुक्त हृदय से स्वागत करते हैं तथा उसे अपने पास रखते हैं। इस सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता ने कामरेड बसु के कथन की सत्यता को प्रमाणित कर दिया है। कुल 250 प्रतिनिधियों में से 200 महिलाएं थी। वे पांच दिन तक इस शहर [कलकत्ता] में रहीं। उन्हें छेड़खानी या परेशान करने जैसी किसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। प्रतिनिधियों के पहुंचने से पूर्व ही फेडरेशन का अखिल भारतीय नेतृत्व जिसमें प्रधान कामरेड विमल रणदिवे तथा महासचिव कामरेड नीलिमा मोइत्र भी शामिल हैं, उनके स्वागतार्थ तथा आवास की व्यवस्था करने हेतु सरकार द्वारा चालित मौलाली के युवा केंद्र में पहुंच चुका था।

पांडिचेरी का सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 23 अक्टूबर की प्रातः ही हावड़ा स्टेशन पर पहुंच गया था। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य चिंतित थे कि वे कैसे सम्मेलन स्थल पर पहुंचेंगे। तभी सी आइ टी यू के लाल झंडे एवं पताकाएं हाथ में लिये वालंटियर हमारे पास पहुंचे और उन्होंने कहा ''सुस्वागतम् प्रतिनधिगण!'' अब हमारी सभी चिंताएं उन्होंने अपने ऊपर ले ली थीं। प्रतिनिधियों को बाहर खड़े एक वाहन में बिठाकर कर मौलाली के युवा केंद्र में ले जाया गया और उसके पश्चात् उन्हें केंद्रीय कलकत्ता पुलिस लाइन में टिका दिया गया।

सम्मेलन का आरंभ अपरान्ह तीन बजे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की उपस्थिति में युवा केंद्र के प्रवेश द्वार पर फेडरेशन की अध्यक्ष कामरेड विमल रणदिवे द्वारा लाल झंडा फहराए जाने के साथ हुआ। इस अवसर पर फेडरेशन के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित थे। उपस्थित प्रतिनिधियों ने विभिन्न भाषाओं में अत्यंत गुंजायमान स्वर में नारे लगाए तथा झंडे को सलामी दी।

विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों तथा हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी से लेकर तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम जैसी भाषाओं के भाषा-भाषी प्रतिनिधियों की उपस्थिति से राष्ट्रीय अखंडता का आभास होता था। यह विशाल देश तथा इसकी जनता ही सभी प्रतिनिधियों की चिंता का एकमात्र विषय था। वे कामकाजी महिलाओं अर्थात् समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के भाग्य को चमकाने के उद्देश्य से ही वहां एकत्रित हुए थे। यह एक ऐसा वर्ग है जिसे विशेषज्ञता प्राप्त काम करना पड़ता है किंतु इसके लिये अत्यंत अल्प मानदेय [अपमान धन] दिया जाता है। भारत में इनकी संख्या लगभग सात लाख है।

प्रत्येक दिन तीस प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। उन्होंने अपने-अपने भाषणों में कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गईं नयी विनाशकारी आर्थिक और अन्य नीतियों तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष--विश्व बैंक इत्यादि के माध्यम से साम्राज्यवादी-पूंजीवादी देशों के आगे संप्रभुता का समर्पण करने तथा उनके निदेशों पर देश की आत्मनिर्भरता को समाप्त कर दासत्व स्वीकार करने पर भारत सरकार की कड़ी आलोचना की। पूरे सत्र में प्रतिनिधियों का यह सर्वसम्मत विचार था कि समन्वित बाल विकास कार्यक्रम [आइ सी डी एस] के निजीकरण हेतु भारत सरकार के कदमों एवं अभियान और उन्हें चरणबद्ध ढंग से गैर सरकारी संगठनों को सौंपे जाने के विरुद्ध जन संघर्षों के माध्यम से संघर्ष किया जाना चाहिये।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन इन महिलाओं को नियमित कराने के लिये जो पूर्ण कालिक काम करती हैं तथा गरीब बच्चों एवं गर्भवती माताओं के पोषण के लिये विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं, निरंतर अथक संघर्ष चला रही है। इसके साथ ही उन सभी को स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिये।

सम्मेलन ने ठीक ही अनुभव किया कि यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। इसे देश में संयुक्त संघर्ष समिति, सी आइ टी यू तथा अन्य ट्रेड यूनियनों के नेतृत्व में संयुक्त संघर्ष चला कर ही पूर्ण किया जा सकता है। जन संघर्षों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिये प्रत्येक राज्य में संगठन को बनाने तथा उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि आंगनवाड़ी महिलाओं को नियमित करने, कार्यकर्ता को 1200 रुपये तथा सहायिका को 800 रुपये का मानदेय देने तथा चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश इत्यादि अन्य मांगों के लिये संसद के मानसून सत्र के समय देश की राजधानी और देश के अन्य भागों में भी जुझारू संघर्ष किया जाय।

सी आइ टी यू तथा पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने सम्मेलन के आयोजन में भारी सहायता दी। कलकत्ता नगर निगम के महापौर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु, कृषि मंत्री कामरेड बिनय चौधरी, सी आइ टी यू के महासचिव कामरेड एम के पंधे के अतिरिक्त सी आइ टी यू तथा संयुक्त संघर्ष समिति के अनेक नेताओं ने उन्हें संबोधित किया।

सम्मेलन में पदाधिकारियों की नयी टीम का चुनाव किया गया। कामरेड विमल रणदिवे अध्यक्ष, कामरेड नीलिमा मोइत्र महासचिव तथा कामरेड नीना राव कोषाध्यक्ष चुनी गई। कार्य समिति तथा जनरल कौंसिल का चुनाव भी किया गया।

सम्मेलन के समापन दिवस पर अर्थात् 29 अक्टूबर की अपरान्ह शहर में एक विशाल जुलूस निकाला गया जो रायटर्स बिल्डिंग के पास समाप्त हुआ। वहां आयोजित जन सभा को पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री कामरेड विनय चौधरी के अतिरिक्त सी आइ टी यू तथा आंगनवाड़ी महिलाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के नेताओं ने संबोधित किया।

कामरेड ज्योति बसु ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की समस्याओं को योजना आयोग तथा भारत सरकार के पास उठाएंगे तथा उन्हें सुलझाने के लिये भरसक प्रयास करेंगे। वाम मोर्चा सरकार उनके संघर्ष का पूर्ण समर्थन करती है।

आंगनवाड़ी महिलाओं को नियमित करने के संबंध में

आंगनवाड़ी महिलाएं समन्वित बाल विकास कार्यक्रम [आइ सी डी एस] के अंतर्गत कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपेक्षित माताओं को खाद्य सामग्री एवं चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही 0-6 वर्ष आयु समूह के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ये लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों एवं नगरों की बस्तियों में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। प्रत्येक केंद्र को चलाने का उत्तरदायित्व एक कार्यकर्ता तथा एक सहायिका पर होता है। इन दोनों कार्यकर्ताओं को खाना बनाना होता है और बना हुआ खाना वितरित करना होता है, उन्हे चिकित्सा जांच शिविर जिनमें संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु टीके लगाना भी शामिल है, लगाने के लिये प्रबंध करना होता है; 0-6 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिये समुचित प्रबंध करना होता है। प्रत्येक केंद्र को एक हजार की जनसंख्या की सेवा करनी होती है। इन कार्यकर्ताओं पर न केवल काम का भारी बोझ होता है अपितु वह उत्तरदायित्व पूर्ण भी होता है। वास्तविक अर्थों में उनके काम का बोझ कई प्रकार के कामों के कारण बढ़ जाता है। यह काम उससे भी कहीं अधिक है जिसे एक पूर्ण कालिक सरकारी कर्मचारी से करने की अपेक्षा की जाती है। इस पर भी आंगनवाड़ी महिलाओं की सेवा अंश कालिक है और उन्हें कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। केवल 400 रुपये कार्यकर्ता को तथा 200 रुपये सहायिका को मानदेय के रूप में दिये जाते हैं।

इस तथ्य में विरोधाभास निहित है कि जहां इन कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को केंद्र में रह कर काम करना होता है और उन्हें आइ सी डी एस परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध सभी कार्य करने होते हैं वहीं इस कार्यक्रम के निरीक्षक तथा अधिकारी नियमित सरकारी कर्मचारी होते हैं। उन्हें पूर्ण सेवा लाभ प्रदान किये जाते हैं।

योजना आयोग की समीक्षा रिपोर्ट में आइ सी डी एस परियोजना के कार्य प्रदर्शन की भारी सराहना की गई है। वास्तव में जो क्षेत्र आइ सी डी एस परियोजना की परिधि में आते हैं वहां अपेक्षित माताओं तथा 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन इस बात से पूर्णतया सहमत है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में जो काम करना पड़ता है, वह काम के आकार तथा गुणवत्ता दोनों दृष्टियों से पूर्ण कालिक प्रकृति का है। अत: यह सम्मेलन मांग करता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को तुरंत नियमित किया जाए। उन्हें पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्तों के लाभ दिये जाएं तथा वैसी ही सेवा स्थितियां प्रदान की जाएं। यह सम्मेलन इस बात से पूर्णतया सहमत है कि ऐसा करने से न केवल इन कार्यकर्ताओं को वर्तमान वंचनाओं से मुक्ति दिलाई जा सकेगी अपितु समाज और अधिक लाभान्वित होगा। □

नयी आर्थिक नीति के विरोध में

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का द्वितीय अखिल भारतीय सम्मेलन नरसिम्हा राव सरकार की आर्थिक नीति के प्रति कड़ा विरोध व्यक्त करता है। यह नीति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के निदेश पर बनाई गई है। इसके फलस्वरूप आवश्यक जीवनोपयोगी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य आकाश को छूने लगे हैं, भारी स्तर कर्मचारियों की छटनी की जा रही है तथा सामाजिक सेवाओं के लिये बजट राशि में अत्याधिक कमी की जा रही है। सर्वाधिक चिंता का विषय तो यह है कि इस नयी आर्थिक नीति ने देश की अर्थव्यवस्था के द्वार विदेशी पूंजी जिनमें बहुराष्ट्रीय निगम भी सम्मिलित हैं, के निर्बाध एवं विशाल स्तर पर घुसपैठ होने देने के लिये खोल दिये गये हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारा देश खतरे में पड़ गया है, हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तथा देश की संप्रभुता पर संकट की तलवार लटकने लगी है। अमरीका की सरदारी में साम्राज्यवादी शक्तियों के विश्व व्यापी हमलों की पृष्ठभूमि में यह स्थिति और भी खतरनाक हो गई है जबकि साम्राज्यवादी देश तृतीय विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था में घुसपैठ करने तथा नव औपनिवेशिक विधियां अपना कर वहां की जनता का शोषण एवं उत्पीडन करना चाहते हैं।

नयी आर्थिक नीति ने निजीकरण को अपने एक अनिवार्य अंग के रूप में घोषित किया है। निजीकरण के माध्यम से सहस्त्रों लोगों को रोजगारविहीन किया जा रहा है। इसके दुष्परिणामस्परूप बेरोजगारों की पहले से ही विशाल सेना की पंक्तियां और लंबी होती चली जा रही हैं। हमारी अर्थ व्यवस्था में रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती चली जा रही हैं। एक और दृष्टिकोण से भी यह नीति खतरनाक है। बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों एवं निगमों के हमलों से हमारा स्वदेशी उद्योग विशेष रूप से लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट प्राय: हो जाएगा।

इसी नयी आर्थिक नीति की धुन में मस्त होकर भारत सरकार ने सर्वनाशी गैट करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। उसने इसके लिये संसद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता भी नहीं समझी तथा इसके विरोध में उठे या उठ रहे ऊंचे स्वरों को अनसुना कर डाला है। इस समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के फलस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और बिगड़ जाएगी। कृषि क्षेत्र तथा बौद्धिक संपदा का अधिकार जिसे भारतीय एकस्व अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित बनाया गया है, पर भी विषम प्रभाव पड़ेगा।

श्रमिक वर्ग, महिलाओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को इस नीति की तीक्ष्णता का अनुभव अत्याधिक होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं तो इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगी क्योंकि उपरोक्त कारकों के साथ-साथ उनके सिरों के ऊपर निजीकरण की तलवार भी लटकाएं रखी जाएगी। यह अनहोनी पहले से ही घटने लगी है जबकि अनेक आंगनवाड़ी केंद्रों को गैर सरकारी संगठनों जिनमें सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा प्रायोजित संगठन भी सम्मिलित हैं, के क्रूर पंजों में सौंपा जा चुका है।

इन्हीं परिस्थितियों में यह सम्मेलन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के सभी सदस्यों तथा उन आंगनवाड़ी महिलाओं जो अभी तक फेडरेशन की सदस्य नहीं बनी हैं, को आह्वान करता है कि वे केंद्रीय सरकार की नयी आर्थिक नीति के विरोध में अपना संघर्ष तीव्र से तीव्रतर करें।

निजीकरण जो नयी आर्थिक नीति का ही एक अंग है का प्रत्येक मूल्य पर प्रतिकार किया जाना चाहिये। सम्मेलन भारत सरकार से भी मांग करता है कि वह इस नयी आर्थिक नीति को देश के वृहत हितों में निरस्त [रद्द] कर दें। ☐

अप्रैल 1995 में संसद के समक्ष धरना तथा प्रदर्शन

संयुक्त संघर्ष समिति ने देश भर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे आंगनवाड़ी परियोजनाओं का निजीकरण किये जाने के विरोध में संसद के आगामी बजट सत्र अर्थात् अप्रैल 1995 में संसद के समक्ष दिये जा रहे धरने तथा प्रदर्शन में भाग लें। वे हजारों की संख्या में राजधानी दिल्ली आकर संघर्ष के उपरोक्त कार्यक्रम में भाग लें।

मूल्य वृद्धि पर

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन का द्वितीय सम्मेलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् होने वाली मूल्य वृद्धि तथा इससे सम्बन्धित भारत सरकार की नीति पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। मूल्य वृद्धि हमारी अर्थ व्यवस्था की स्थायी संवृत्ति बन चुकी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें कमी लाने के केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा आश्वासन दिये जाने पर भी इसमें अपार वृद्धि हो रही है तथा इसने पिछले सभी कीर्तिमानों को तोड़ डाला है। हम बहुत पुरानी बात नहीं करते। अभी पिछले संसदीय चुनावों के समय वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी अर्थात् कांग्रेस-इ ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जनता से वादा किया था कि यदि वह सत्ता में आई तो सौ दिनों के भीतर मूल्यों में कमी ले आएगी। यदि हम अपने दैनंदिन अनुभवों के प्रकाश में उस वादे को परखें तो वह मात्र चुनाव जीतने के लिये जनता की आंखों में धूल झोंकने वाली चालबाजी ही सिद्ध हुआ है। बात केवल वादे को पूरा करने की नहीं है। यह केंद्रीय सरकार ही है जो चावल, गेहूं, चीनी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला तथा रसोई गैस जैसी सभी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाती है और इस सम्बन्ध में निर्णय लेती है।

मूल्य वृद्धि से जनता के दरिद्रतम वर्गों पर भारी दुष्प्रभाव पड़ता है। निर्धारित आय वर्ग के लोगों जिनकी आय अत्यंत अल्प होती है, पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में केवल १०-२०% लोग ही मूल्य वृद्धि के दुष्प्रभावों को झेल सकते हैं जबकि शेष ८०-९०% लोगों के लिये मूल्य वृद्धि का अर्थ है उनके जीवन स्तर में गिरावट आना। ५०% से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे अमानवीय जीवन जीने के लिये बाध्य होते हैं। मूल्य वृद्धि का उनके लिये क्या अर्थ है इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती।

संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक वर्ग तथा कर्मचारी निरंतर संघर्ष करने के कारण सरकार तथा मालिकों को विवश करने की स्थिति में है कि महंगाई भत्ते के भुगतान की एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली क्षति की भरपाई हो सके। यद्यपि यह व्यवस्था दोषपूर्ण है तथा श्रमिक वर्ग को पूर्ण संरक्षण प्रदान नहीं करती तथापि जो कुछ भी उन्होंने अपने संघर्षों के बल पर प्राप्त किया है, उससे उन्हें थोड़ी बहुत राहत तथा वास्तविक वेतन में कमी होने पर क्षतिपूर्ति मिल जाती है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की विशाल सेना जो अत्यंत विशिष्ट प्रकृति की सामाजिक सेवा में रत है, को भारत सरकार ने यह तर्क देकर कि वे अंशकालिक कार्यकर्ता हैं, महंगाई भत्ते की योजना से बाहर रखा हुआ है। इन कार्यकर्ताओं को अंश कालिक माना जाए, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसमें भी उनका कोई दोष नहीं है कि उन्हें पर्याप्त वेतन या मानदेय नहीं मिलता। ये कार्यकर्ता पूर्णकालिक नहीं हैं या वेतन एवं पारिश्रमिक के स्थान पर मानदेय पाते हैं, इस॰कटु वास्तविकता के कारण इन्हें मूल्य वृद्धि के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता और न ही मूल्य वृद्धि के कारण उन्हें कोई क्षतिपूर्ति दी जाती है जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक है।

हमारे देश में मूल्य वृद्धि का होना निश्चित रूप से भारत सरकार की जन विरोधी नीतियों का कुफल है और जब तक इस नीति को पराजय नहीं दी जाती तब तक मूल्य वृद्धि अनवरत जारी रहेगी। इसलिए यह सम्मेलन मांग करता है कि:

(क) भारत सरकार मूल्य में कमी लाने हेतु अपनी नीति में परिवर्तन करे और इन्हें जन साधारण की क्रय शक्ति की तर्कसंगत सीमा के अन्तर्गत लाए और

(ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को उसी प्रकार महंगाई भत्ते के भुगतान की योजना के अन्तर्गत लाया जाए जिस प्रकार उक्त योजना के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमित रूप से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही यह सम्मेलन सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान करता है कि वे मूल्य वृद्धि के विरोध में अपने संघर्ष को और तीव्र करें। □

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की अखिल भारतीय फेडरेशन के द्वितीय सम्मेलन की प्रत्यायक [क्रिडेंशियल] रिपोर्ट

कुल प्रतिनिधि वर्तमान	: 248
कुल प्राप्त प्रत्यायक फार्म	: 246
पुरुष	: 22
महिलाएं	: 224
कार्यकर्ता	: 190
सहायिकाएं	: 10
अन्य	: 46
राज्य सचिव	
[सचिव मंडल सदस्यों सहित]	: 42
महासचिव	
[परियोजना स्तर पर]	: 21
जिला सचिव	: 30
जिला समिति सदस्य	: 7
अध्यक्ष [प्रखंड स्तर]	: 4
[राज्य स्तर]	: 1
केंद्रीय कार्य समिति	: 13

परियोजना में शामिल होने का वर्ष

1976 1980 = 27 यूनियन में शामिल होने का वर्ष
1981 1990 = 95 पांच वर्ष से कम : 140
1991 1994 = 124 पांच वर्ष से ऊपर : 92

नोट:

पांच वर्ष से नीचे	:151
पांच वर्ष से ऊपर	: 95

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का राज्यवार विवरण

1. पश्चिम बंगाल	: 100
2. आंध्र प्रदेश	23
3. महाराष्ट्र	: 40
4. मध्य प्रदेश	: 4
5. हिमाचल प्रदेश	: 6
6. पांडिचेरी	: 7
7. कर्नाटक	: 6
8. तमिलनाडु	: 13
9. केरल	: 13
10. पंजाब	: 3
11. हरियाणा	: 3
12. राजस्थान	: 5
13. उत्तर प्रदेश	: 2
14. उड़ीसा	: 3
15. बिहार	: 16
16. केंद्र	: 4
कुल	: 248

सर्वाधिक आयु की प्रतिनिधि
कामरेड विमल रणदिवे [म] आयु 78 वर्ष,

सर्वाधिक युवा प्रतिनिधि
कामरेड वाई रेशमा [म] [आंध्र प्रदेश] आयु 20 वर्ष
त्रिपुरा राज्य से कोई प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग लेने के लिये नहीं आया।

नोट : उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से एक-एक प्रतिनिधि नहीं आया।

हस्ताक्षर
बी नियोगी
संयोजक प्रत्यायक समिति

[पेज दो से]

विश्व के साथ खुले मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये हैं। उसका अपना देश गम्भीर स्थिति में से गुजर रहा है, किन्तु उसे इसकी तनिक चिंता नहीं है। समाजवाद के ऊपर पूंजीवादी की विजय की उद्घोषणा पर पूंजीवादी विश्व में हर्षोल्लास का होना स्वाभाविक है।

किन्तु बोरिस येलत्सिन तथा उसके मित्र (दुमछल्ले) भूल गए हैं कि मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक विधा है। वही लोग जिन्होंने समाजवाद के विखण्डन के पक्ष में अपना मत दिया था एक बार फिर उठ खड़े होंगे, वे विद्रोह कर देंगे और समाजवाद की पुर्नस्थापना कर देंगे। पूर्व समाजवादी देशों में आज वस्तुत: यही हो रहा है। जनता दिन-प्रतिदिन येलत्सिन सत्ता के विरोध में आगे आ रही है, वह अधिकाधिक मुखर हो रही है और श्रमिक वर्ग औद्योगिक क्षेत्र में उठाए गए कदमों का प्रतिकार करने हेतु अपनी पंक्तियों में एकता ला रहा है। महिलाएं मूल्य वृद्धि के विरोध में तथा काम करने के अपने अधिकार के लिये संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। सहस्रों लोगों ने लाल झंडे के नीचे एकत्रित होकर अपने महान नेता लेनिन की जन्म वार्षिकी को मनाया था। येल्त्सिन के त्यागपत्र के लिये मांग का स्वर दिन प्रतिदिन तीक्ष्ण होता चला जा रहा है। हाल ही में आजरबाइज़ान परिसंघ की ओर से बाकू के श्रमिकों द्वारा 1904 में संगठित हड़ताल की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। रूस के अनेक राज्यों में एक बार फिर जुझारू ट्रेड यूनियनें आगे आकर श्रमिकों की मांगों को उठा रही हैं। श्रमिक वर्ग की महिलाएं तथा पुरुष एक बार फिर वर्ग संघर्ष के पुराने अनुभव को दोहरा रहे हैं। वे सर्वहारा के नेतृत्व जो उन्हें समाजवाद के मार्ग पर ले जाएगा, में अपनी आस्था व्यक्त करने लगे हैं। श्रमिक वर्ग अनुभव करने लगा है कि समाजवाद के निर्माण के समय हुई भूलों को सुधारा जा सकता है और रूस तथा अन्य देशों में समाजवाद को पुर्नस्थापित किया जा सकता है।

जैसा कि मार्क्स तथा लेनिन ने कहा था कि समाजवाद अपराजेय है और विरोधाभासों पर आधारित राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप समाजवाद की स्थापना होगी। जनसाधारण तथा श्रमिक वर्ग एक बार फिर उठेगा और वह येलत्सिन सत्ता के अन्तर्गत वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आगे आ रहा है। उन्होंने न केवल रूसी क्रांति की 77वीं वर्षगांठ अपितु द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें सहस्रों लोग मारे गए थे, की वर्षगांठ मनाई है। द्वितीय विश्व युद्ध में न केवल सोवियत संघ को बचाया गया था अपितु अनेक अन्य देशों को भी मुक्त कराया गया था। महिलाएं जो कुल श्रमशक्ति का 51 प्रतिशत तथा सभी सोवियत श्रमिकों का 60ब भाग हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, उन पर इन दिनों एक नये मत का आरोपण किया जा रहा है। उन्हें कानून के माध्यम से प्राक-आधुनिक काल में धकेला जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि वे अच्छी गृहणियां तथा माताएं बनें। यह नयी जानकारी देकर उनके ज्ञान में अभिवृद्धि की जा रही है कि रोजगार महिलाओं के लिये नहीं होता है। अत: महिलाओं को रोजगार से वंचित होना ही पड़ेगा।

कामकाजी महिलाओं ने रूसी क्रांति में शानदार भूमिका निभाई थी। लेनिन ने इसकी प्रशंसा की थी। इस अविस्मरणीय भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे न केवल रूसी क्रांति की अग्रिम पंक्तियों में रही थीं अपितु उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के समय आगे रह कर क्रांति की उपलब्धियों की रक्षा की थी। रूसी ट्रेड यूनियनों ने समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक बार फिर युद्ध छेड़ दिया है। सी आइ टी यू तथा कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से हम अक्टूबर क्रांति की 77वीं वर्षगांठ का उत्साहपूर्वक अभिनंदन करते हैं। □

पश्चिम बंगाल समन्वित बाल विकास कार्यक्रम (आइ सी डी एस) फेडरेशन की संस्थापक सदस्य कामरेड निरुपमा चैटर्जी सम्मेलन में भाषण करते हुए।

ऊपर : पश्चिम बंगाल की उत्साहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 27 अक्टूबर को पंजीकरण की मेज पर बैठी दिखाई दे रही हैं।

नीचे : महासचिव कामरेड नीलिमा मोइत्र प्रतिनिधियों से शहीद वेदी पर माल्यार्पण करने का अनुरोध कर रही हैं।

बुक पोस्ट